न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 487 / 2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. नानालाल पिता रूपा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. जमनाबाई पिता रूपा जाति गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन हाल मुकाम रेलमगरा जिला राजसमन्द।

—— वादीगण

बनाम

1. रूघनाथ पिता मेघराज जाति नाथ (योगी) आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. सजना पुत्री मेघनाथ पत्नी सोहननाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी दोवनी हाल मुकाम अडाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. सोहनी पुत्री मेघनाथ पत्नी नरेन्द्रनाथ जाति नाथ (योगी) आयु वयस्क निवासी दोवनी हाल मुकाम बूल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
4. हरीबाई बैवा मेघराज जाति नाथ (योगी) आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. उपपंजीयन अधिकारी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
7. प्रबन्धक बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 30.04.2026

–:निर्णयः–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी नं0 983 रकबा 0.17 हैक्ट0 हैं तथा हाल आराजी नं0 के साबिक आराजी नं0 742 है।

यह कि वादगत आराजी 983 जिसके साबिक आराजी नं0 742 रकबा 16 बिस्वा थे जो वादी के पिता जालम पिता केला व रूपा पिता केला गाडरी के खातेदारी में दर्ज थी जालम की मृत्यु के बाद रूपा पिता केला गाडरी के खातेदारी में दर्ज हुई लेकिन दौराने सेटलमेन्ट कर्मचारियों के द्वारा वादगत आराजी में मेघनाथ पिता उंकारनाथ राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया जबकि वादगत आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नही रहा तथा आज भी कब्जा वादीगण वादीगण का ही हैं लेकिन राजस्व कर्मचारियों से मिलकर के प्रतिवादीगण के पिता के द्वारा वादगत आराजी में राजस्व रेकार्ड में हैराफैरी करके अपने खातेदारी में दर्ज करा दिया जो गलत है। इसलिए पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाकर के प्रतिवादीगण का नाम राजस्व जमाबन्दी से हटाये जाने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावें।

यह कि वादगत आराजी पर कभी भी कब्जा प्रतिवादीगण का नही है। लेकिन प्रतिवादीगण के पिता मेघनाथ के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर के राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण वादगत आराजी से वादीगण का कब्जा हटाने पर आमादा है व राजस्व रेकार्ड का फायदा उठाते हुए वादगत आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को बह, बक्षीस, दान, वसीयत करने पर आमादा है। इसलिऐ

अन्त मे वादीगण ने प्रार्थना की कि

– पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाकर के वाद कॉलम संख्या एक में वर्णित हाल आराजी नं0 983 रकबा 0.17 हैक्ट0 से प्रतिवादीगण का नाम हटा करके वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

– पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाकर के प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण वादगत आराजीयात से वादीगण का कब्जा नही हटावें, हरे पैड वादगत आराजी पर खडे हरे पौधे नही काटे तथा प्रतिवादी संख्या 5 वादगत आराजी से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेजों का पंजीयन नही करें एवं प्रतिवादी संख्या 6 वादगत आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नही करे तथा ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने नौकर, एजेन्ट तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से भी नही करावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 2 से 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 12.06.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 15.05.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी में वादी नानालाल का शपथ पत्र पेश जो शा0फा0 है, व दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श 1 से लगायत 5 है। बहस वकील वादीगण सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेज, शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा मिलान जिसमें साबिक आराजी संख्या 742 के हाल आराजी संख्या 983 बने है। साबिक जमाबन्दी में रूपा पिता केला नाम दर्ज रेकार्ड है, हाल जमाबन्दी संवंत् 2074–77 की प्रस्तुत की है परन्तु आधार वर्ष के पश्चात की अद्यतन जमाबन्दियां व साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि त्रुटि या परिवर्तन कहां हुआ है, अतः वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहे। वादीगण द्वारा वादपत्र की तायद मे कोई ठोस साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नही किये है। वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन